



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@gov.in, m_cuv@rediffmail.com

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०४/९०/२०२०/एफ०सी०/४७५

दिनांक : 08.09.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग),
अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019

विषय: ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि० द्वारा प्रस्तावित ४०० के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाईन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित ४६.७७८ हे० आरक्षित व ०.१०१ हे० संरक्षित वनभूमि (४६.८७९ हे० वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित ३६४ वृक्षों एवं ४९४ बांस कोठी में से २३८ वृक्षों एवं २९० बांस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित २.४३४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की ०.५१८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित २८ वृक्षों में से १६ वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित ०.२६५ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित ०३ वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित ३९.५३६ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित ५८५ वृक्षों एवं १७ बांस कोठी में से ३१० वृक्षों व ०९ बांस कोठी के पातन अर्थात् कुल ८८.७४८ हे० आरक्षित एवं ०.८८४ हे० संरक्षित कुल योग ८९.६३२ हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित ९८० वृक्षों व ५११ बांस कोठी में से कुल ५६७ वृक्षों/पौधों एवं २९९ बांस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-पी-५५/८१-२-२०२०-८००(६०)/२०२०, दिनांक-१३.०८.२०२०.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें एवं अनुपालना राज्य सरकार के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- NOC of NHAI & Railways needs to be submitted.
- 2- NBWL clearance needs to be provided.
- 3- The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 176.0 ha., which is less than actual required CA land area.
- 4- As per provided kml file of CA land, small patches of agriculture field have been observed in Obra & Kaimur division, this needs to be clarified.
- 5- As per Google Earth Imageries in CA land polygon of Varanasi division, plantation activity has been observed, this needs to be clarified.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी, सौनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
4. ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि०, मकान नं० 116 ग्रीन पार्क कॉलोनी, बिलासपुर, रोड, बरेली।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

11/9/2020
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 557 / 11-सी- FP/UP/Trans/40906/2019, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 10, 2020

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर तथा वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक, ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि०, मकान नं०-116, ग्रीन पार्क कॉलोनी, बिलासपुर रोड, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

E.D.S

पत्रांक 1033 / सी०/33 दिनांक सितम्बर 11, 2020

प्रतिलिपि प्र० व प्र० कोषा, वाराणसी, जौनपुर, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।